COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
COURT FEE Rs.10 INDIA दस रुपये TEN RUPEES

72

न्यायालय माननीय राजस्व मण्ड़ल ग्वालियर मध्यप्रदेश म0प्र0

प्रकरण कमांक /2016–17 अपील R 133-PBR-17

मॉगीलाल पिता श्री बद्रीलालजी पाटीदार
आयु 38 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम
हनुमन्तिया तहसील जावरा जिला रतलाम म0प्र0
..................आवेदक

श्री संजीव जैन, अभि0
द्वारा आज दि 6-1-17 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-1-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

.......विरूद्ध......

रामेश्वर पिता चिमनलालजी पाटीदर मृत वारिसान
1. गणतलाल पिता रामेश्वरजी पाटीदार
2. बालाराम पिता रामेश्वरजी पाटीदार
निवासी ग्राम हनुमन्तिया तहसील जावरा जिला रतलाम म0प्र0

(Sanjeev Jain) Adv.

..................अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय जावरा जिला रतलाम द्वारा प्रकरण कमांक–84/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2016 के विरूद्ध

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न निगरानी प्रस्तुत है :–

::–तथ्य–::

1. यह कि, ग्राम हनुमन्तिया में भूमि सर्वे नंबर 326 पुराना नंबर 386 लक्ष्मीबाई के नाम पर दर्ज हैं। कॉलम नंबर 12 में रामेश्वर (मृत) रेस्पाण्डेण्ट नंबर 1 व 2 के पिता का नाम दर्ज था । बगैर किसी आधार के यह नाम दर्ज रहा था। आवेदक द्वारा यह भूमि लक्ष्मीबाई से क्रय की थी । भूमि प आधिपत्य आवेदक का ही हैं आवेदक खेती करता हैं। नामान्तरण आवेदक का भूमि पर हैं । आवेदक द्वारा तेहसील में आवेदन प्रस्तुत करने पर तेहसीलदार महोदय जॉच कर का कॉलम नंबर 12 से मृतक रामेश्वर का नाम कम करने का आदेश प्रदान किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध रामेश्वर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा अपील के विचारण के दौरान रेस्पाण्डेण्ट कमांक 1 व 2 के नाम रेकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश दिनांक 28.01.2015 को प्रदान किये गये । बालाराम को रेस्पाण्डेण्ट के रूप में सम्मिलित किया गया । विचाराधीन

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-133-पीबीआर/17 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रविन्द्र त्रिवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	